□ जनपद- हाथरस । □
□ दिनांक- 16.12.2024□

‼□ थाना चंदपा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए 01 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से करीब 750 लीटर रॉयल ग्रीन विस्की हरियाणा- दिल्ली मार्का (33 पेटी बोतल व 35 पेटी हाफ व 90 बोटल पैकिंग में खुली हुई) अनुमानित कीमत करीब ₹ 5,00,000 /- रूपये व तस्करी में प्रयुक्त 01 ट्रक व एक मोबाइल फोन बरामद ।‼□

➡□ पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा पुलिस टीम को सराहनीय कार्य हेतु उनके उत्साहवर्धन हेतु ₹25,000/- रूपये के नगद पुरुस्कार से किया जायेगा सम्मानित

दिनांक 16.12.2024 को पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना चंदपा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए एक शराब तस्कार को मीतई कट अलीगढ-आगरा हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से कब्जे से करीब 750 लीटर रॉयल ग्रीन विस्की हरियाणा- दिल्ली मार्का (33 पेटी बोतल व 35 पेटी हाफ व 90 बोटल पैकिंग में खुली हुई) अनुमानित कीमत करीब ₹ 5,00,000 /- रूपये व तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक नं0 UP77 AN 9595 व एक मोबाइल फोन रियल मी कम्पनी बरामद हुए है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चंदपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

➡□ पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त रागिब हसन ने पूछताछ करने पर बताया गया कि बरामद ट्रक का मालिक निर्भय सिंह पुत्र मांगेराम निवासी गाँव ढींढला थाना परतापुर जिला मेरठ है, जो हरिओम नामक व्यक्ति से मिलकर अवैध शराब की तस्करी हरियाणा व दिल्ली से आगरा से बिहार तक करते है और शराब की बिक्री कर जो भी मुनाफा होता है उसे आपस मे बराबर बांट लेते है और उसको भी दारू सप्लाई करने की एवज में ड्राईवरी तनख्वाह के अलावा कुछ रूपये भी मुनाफे के तौर पर दे देते है। वह इनके साथ मिलकर काफी समय से शराब की तस्करी कर रहा है। वह ट्रक को हरियाणा सोनीपत के पास से लेकर अलीगढ होते हुए आगरा जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना एक्सप्रेस वे कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में पूर्व में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत है। अभियोग मे प्रकाश में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित प्रयास किए जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार अभियक्त का नाम व पता-
रागिब हसन पुत्र नूर हसन निवासी फूलवाला तालाब थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-
1. 33 पेटी बोतल व 35 पेटी हाफ व 90 बोतल पैकिंग में खुली हुई (करीब 750 लीटर) रोयल ग्रीन विस्की हरियाणा-दिल्ली मार्का (अनुमानित कीमत करीब ₹ 5,00,000 /- रूपये)
2. एक ट्रक नं0 UP 77 AN 9595 (तस्करी में प्रयुक्त)
3. एक रियल मी मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रागिब उपरोक्त
1. मु0अ0सं0 388/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना एक्सप्रेस वे कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर।
2. मु0अ0सं0- 274/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना चंदपा जनपद हाथरस।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के नाम-
प्रभारी निरीक्षक श्रीमती विपिन चौधरी मय टीम थाना चंदपा जनपद हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS